

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश सं० :- 11/ विविध - 06-09/2014.....दिनांक.....

आदेश

धरती ड्रेजिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० प्वाइंट आफ भ्यू बी० एस०, बेगमपेट, हैदराबाद - 500016 के द्वारा सारण तटबंध के 117.05 से 124.25 कि०मी० के बीच पायलट चैनल के ड्रेजिंग कार्य एकरारनामा एवं विहित निर्देश के अनुसार पूर्ण नहीं किये जाने के कारण उनसे कारण पृच्छा कर विभागीय आदेश ज्ञापांक 955 दिनांक 18.02.2015 द्वारा उनके निबंधन संख्या 3/2012 (प्रथम श्रेणी) को काली सूची में डाला गया।

धरती ड्रेजिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० द्वारा उक्त आदेश को रद्द करने हेतु माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी० डब्लू० जे० सी० संख्या 9724/2015 दायर किया गया। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.07.2015 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया -

"Having heard the parties the writ petition is disposed of by permitting the respondents to pass a fresh order in accordance with law after considering the show cause/ reply which the petitioner has filed pursuant to annexure 10. The respondents shall not be precluded in any manner from passing a fresh order after considering the reply to show cause submitted by the petitioner by the previous order dated 18.02.2015. To obviate any confusion, this court directs that the order impugned (Annexure - 7) shall remain in abeyance until or fresh order is passed by the respondents in the light of the present order."

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त न्याय निर्णय के अनुपालन में विभागीय आदेश ज्ञापांक 955 दिनांक 18.02.2015 को संवेदक के अपील पर निर्णय होने तक Abeyance में (स्थगित) रखा जाता है।

ह०/-

अभियंता प्रमुख (मध्य)

ज्ञापांक..... दिनांक.....

प्रतिलिपि:- श्री के० कान्ता राव, धरती ड्रेजिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, प्वाइंट आफ भ्यू बी० एस० बेगमपेट, हैदराबाद - 500016 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख (मध्य)

ज्ञापांक 3680 दिनांक 05-8-15

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ पथ निर्माण विभाग, पटना/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना/ भवन निर्माण विभाग, पटना/ लघु जल संसाधन विभाग, पटना/ ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/ समी मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग/ निदेशक क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन जल संसाधन विभाग बिहार, पटना/ आई.टी. मैनेजर को विभागीय, वेबसाईट पर डालने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख (मध्य)

दिनांक 05/08/15